



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No.:ALD (W) EN/RTI/49-(Vol-IV)/ 4631

Date: 15.04.2024

एस. के. पाण्डा
जे.जी.एम/एडमिन (सी.पी.आई.ओ.)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
नई दिल्ली।


विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत (आर.टी.आई. संख्या) श्री सूरज यादव द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: प्रधान कार्यालय पत्रांक DFCCIL/R/E/24/00306 दिनांक 28.03.2024।

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदक श्री सूरज यादव द्वारा वांछित सूचना माँगी गयी थी, जिसका बिन्दुवार उल्लेख निम्नलिखित है:-

क्र.स.	आर.टी.आई. द्वारा माँगी गयी सूचना	आर.टी.आई. का उत्तर
1	श्री डी.के. सिंह, उप परि० प्र०/इंजी०/पश्चिम का ट्रांसफर इलाहाबाद में ही किस कारणवश किया गया है सूचना उपलब्ध कराये।	माँगी गयी सूचना, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत सूचना की श्रेणी में नहीं आती।
2	श्री डी.के. सिंह एवं श्री अजीत सिंह उप परि० प्र०/इंजी०/पश्चिम पिछले 10-12 वर्षों से प्रयागराज में सेन्सटिव पोस्ट पर हैं, जिनका होम डिस्ट्रिक्ट भी इलाहाबाद है का ट्रांसफर इलाहाबाद में ही किस कारणवश किया गया है सूचना उपलब्ध कराये।	माँगी गयी सूचना, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत सूचना की श्रेणी में नहीं आती।
3	श्री डी.के. सिंह, उप परि० प्र०/इंजी०/पश्चिम में वाद बादशाह हुसैन एवं अन्य के मामले में डी.एफ.सी.सी. का करोड़ों रुपये का नुकसान कराया कास्तकार को भुगतान न करके जिस कारण कार्यालय का अधिक पैसा का भुगतान करना पड़ा उस मामले में श्री डी.के. सिंह, उप परि० प्र०/इंजी०/पश्चिम के उपर कार्यालय द्वारा क्या पेनाल्टी दी गयी सूचना उपलब्ध कराये।	ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
4	श्री डी.के. सिंह, उप परि० प्र०/इंजी०/पश्चिम का इलाहाबाद में ही घर होने के साथ कार्यालय के द्वारा लीज का भुगतान क्यों किया जा रहा है सूचना उपलब्ध कराये।	डी.एफ.सी.सी.आई.एल. कार्यालय में उपलब्ध नीति में उल्लिखित नियमों के तहत ही लीज का भुगतान किया जा रहा है।
5	श्री डी.के. सिंह, उप परि० प्र०/इंजी०/पश्चिम का इलाहाबाद में ही घर होने के साथ कार्यालय के द्वारा लीज का भुगतान किसके नाम पर किया जा रहा है सूचना उपलब्ध कराये।	श्री डी. के. सिंह, उप परि० प्र०/अभि० के लीज का भुगतान श्रीमती पूनम सिंह के नाम पर किया जा रहा है।

इस पत्र पर मुख्य महाप्रबंधक/प्रयागराज (पश्चिम) का अनुमोदन प्राप्त है।


(अजीत कुमार सिंह)
उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
प्रयागराज (पश्चिम)